

E-mail

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर  
पत्रांक— 1129 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक सितम्बर, 21 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।

विषय:— एन0टी0पी0सी0 रिहन्दनगर, बीजपुर-सोनभद्र द्वारा जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण में प्रभावित 555.759 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:— 1-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक-2723/11-सी  
FP/UP/THERMAL/36097/2018 दिनांक-31.07.2023  
2-प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट का पत्र संख्या-438/रेनुकूट/15-6 दिनांक 01.08.2023  
3-इस कार्यालय का पत्रांक 578/मी0क्षे0/33 दिनांक 11.08.2023  
4-प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट का पत्रांक 610/रेनुकूट/15-6 दिनांक 11.08.2023  
5-इस कार्यालय का पत्रांक 649/मी0क्षे0/33 दिनांक 16.08.2023  
6-प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट का पत्रांक-883/रेनुकूट/15-6 दिनांक 09.09.2023

महोदय,

विषयक प्रकरण संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में संदर्भित पत्र दिनांक-31.07.2023 द्वारा इंगित कमियो का निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में आपके कार्यालय के पत्र संख्या- 883/रेनुकूट/15-6 दिनांक 09.09.20.2023 द्वारा प्रेषित वांछित संशोधित आख्या क्या नियमानुसार है? कृपया स्पष्ट करें, ताकि मामले में अग्रेतर कार्यावाही की जा सकें।

**अग्रोसित**  
**Am 21/9/2023**  
(प्रशासनिक अधिकारी,  
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर क्षेत्र  
मीरजापुर)

भवदीय *Seem*

(एन0 रवीन्द्रा)  
मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।